कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 रु. Rs.10

रा.रा.श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य राजस्व मण्डल

ग्वालियर म0प्र0

निगरानी-3038/2018/इंदौर/भू.रा

(29)

लक्ष्मीनारायण पिता हीरालालजी
निवासी- म.नं.1 बसंत विहार कॉलोनी
कुंजवन कालोनी इन्दौर ——— रिवीजनकर्ता

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अनिरुद्ध पुरोहित
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 25-04-18
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

" विरूद्ध "

महेश पिता शंकरलाल जैन
निवासी :-7/2 रोशनसिंह भण्डारी मार्ग
इन्दौर ——— रेस्पोन्डेन्ट

427
25-04-2018

-:: रिवीजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता ::-

रिवीजनकर्ता के द्वारा यह रिवीजन याचिका अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर महू जिला इन्दौर म0प्र0 के द्वारा प्रकरण कमांक 0031 /अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 से पीडित होकर प्रस्तुत की जा रही है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3038/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेशिका दिनांक 19-4-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के मध्य राजीनामा एवं सहमति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नवीन सीमांकन कराये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु बाद में अनावेदक द्वारा सहमत नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण विधिक तथ्यों के आधार पर किये जाने हेतु प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	